RESEARCH REVIEW JOURNALS
Volume-04
Issue-04
April -2019

ISSN: 2455-3085 (Online)
RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary
www.rrjournals.com [UGC Listed Journal]

मानवाधिकारों के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के प्रति हिंसा

मिश्रा अर्चना

एसोसिएट प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, एस0डी0पी0सी0गर्ल्स(पी0जी0) कॉलेज, रूड़की, हरिद्वार

ARTICLE DETAILS
Article History
Published Online: 15 April 2019

Keywords
मानवाधिकार, लैंगिक भेदभाव, हिंसा, संरक्षण, सशक्तिकरण
.

***Corresponding Author**
Email: archananks1[at]gmail.com

ABSTRACT
महिलाओं के प्रति हिंसा एक विश्वव्यापी प्रवृत्ति है। कोई भी देश, समाज अथवा समुदाय इससे मुक्त नहीं है। महिलाओं के प्रति हिंसा के प्रत्येक रूप जैसे कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, अपहरण, बलात्कार, घरेलू हिंसा, कार्य स्थलों पर अभद्रता आदि व्यवहारों के मूल में स्त्रियों के मानवाधिकारों का हनन ही है। आमतौर पर मानवाधिकारों का आशय व्यक्ति के उन अधिकारों से है जिनका उपयोग करने के लिए मनुष्य रूप में जन्म लेना ही पर्याप्त है तथा जो मानव व्यक्तित्व के पूर्ण विकास तथा मानवीय गरिमा की स्थापना एवं पोषण हेतु अत्यावश्यक हैं। वर्तमान समाज में मानवाधिकारों की संरक्षा की दृष्टि से महिलाओं की खराब स्थिति एवं उनके प्रति बढ़ते अपराध, एवं हिंसात्मक व्यवहार को देखते हुए वैश्विक स्तर पर अनेकों कानूनों व संस्थाओं की स्थापना की गई है। परन्तु संविधान तथा विधि–प्रदत्त अनेकों व्यवस्थाओं के बावजूद वर्तमान समाज में मूलभूत अधिकारों के संबंध में महिलाओं की स्थिति अत्यंत चिन्तनीय है। आज विश्व में आधी आबादी महिलाओं की है। महिलायें एक मानव होने की गरिमा प्राप्त कर सकें इसके लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम उन्हें एक 'व्यक्ति' के रूप में पहचान मिले तथा शिक्षा एवं सशक्तिकरण के माध्यम से वे स्वयं के विकास के साथ–साथ समाज के उत्थान में भी सार्थक योगदान दे सकें। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ने का मार्ग प्रशस्त करने में निसंदेह महिलाओं के मानवाधिकारों की स्थापना एवं संरक्षण की एक विशिष्ट भूमिका है।

मानवाधिकारः पृष्ठभूमि एवं वैश्विक संदर्भः–

आज विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली के अन्तर्गत देश की जनता को समानता एवं स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है जिससे प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर मिल सकें। समानता एवं स्वतंत्रता के अधिकार को संरक्षण देने के लिए मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है और इनके दुरूपयोग को रोकने के लिए मानवाधिकार आयोग का गठन तथा अनेक कानून निर्मित किए गए हैं। ऐसे अधिकार जो मनुष्य के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं तथा जिनका उपयोग करने हेतु केवल व्यक्ति होना ही पर्याप्त हैं, मानवाधिकार हैं। आज विश्व में सर्वत्र मानवाधिकारों पर चर्चा होती दिख रही है। किन्तु हम इतिहास पर एक विश्लेषणात्मक दृष्टि डालें तो मानवाधिकार कोई नई अवधारणा नहीं है। मानव सभ्यता की शुरूआत से ही मानवाधिकारों का अस्तित्व है तथापि वैश्वीकरण के साथ–साथ इसके स्वरूप में परिवर्तन आया है। बीसवी सदी में 16 जनवरी 1941 को अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा व्यक्ति की चार मौलिक स्वतंत्रताओं की घोषणा की गई थी। ये चार मर्मभूत स्वतंत्रतायें हैं–

1– वाक स्वातंत्र्य, 2.धर्म स्वातंत्र्य, 3.गरीबी से मुक्ति, 4. भय से स्वातंत्र्य

इसी घोषणा के अनुसार– ''स्वातंत्र्य से हर जगह मानव अधिकारों की सर्वोच्चता अभिप्रेरित है। हमारा समर्थन उन्हीं को है, जो इन अधिकारों को पाने के लिए या बनाये रखने के लिए संघर्ष करते हैं।''

10 दिसम्बर, 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकृत किया गया। इस घोषणा में यह स्वीकार किया गया कि– ''मानव स्वतंत्र जन्म लेते हैं तथा गरिमा, सम्मान और विचारों में समान होते हैं।'' 18 दिसम्बर 1966 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के 21वें अधिवेशन में सर्वसम्मति से मानवाधिकार सम्बन्धी दो अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार प्रसंविदाओं को स्वीकार किया गया। एक को नागरिक एवं राजनैतिक अधिकार की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा तथा दूसरी को आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा कहा गया। अपने 30 अनुच्छेदों में मूलभूत मानवाधिकारों तथा स्वतंत्रता को समेटे यह घोषणा एक विस्तृत दस्तावेज है। इसमें मूल, वंश, राष्ट्र, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, विचारधारा, सम्पत्ति, जन्म या अन्य परिस्थिति के आधार पर मनुष्यों में कोई भेद नहीं किया गया है।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर में महिलाओं की समानता के अधिकार की घोषणा तथा संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में महिलाओं को बिना भेदभाव के समस्त अधिकारों की प्राप्ति का अधिकारी माना गया है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर की प्रस्तावना में उल्लिखित है कि –''हम

RRIJM 2015, All Rights Reserved

संयुक्त राष्ट्र के लोग ... मूलभूत मानवाधिकारों में, व्यक्ति की गरिमा व मूल्य में पुरूष व स्त्री के समान अधिकारों में आस्था व्यक्त करते हैं।'' इसके उपरान्त भी इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु 18 दिसम्बर 70 को संयुक्त राष्ट्र असेम्बली में भी एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसे बिल ऑफ राईट भी कहा जाता है। तत्पश्चात विश्व में अनेक मंचों से मानवाधिकार के दृष्टिकोण से महिलाओं को विशेष अधिकारों के योग्य मानने तथा उनके साथ अनेक स्तरों पर हो रहे भेदभाव को समाप्त करने के संकल्प को दोहराया गया। इसी के साथ विश्व के अनेक देशों में महिलाओं के मूलभूत अधिकारों की संरक्षा हेतु प्रावधान करने के साथ–साथ उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के प्रयासों में भी तेजी आई।

संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विभिन्न देशों द्वारा बनाये कानूनी प्रावधानों में महिलाओं एवं पुरूषों के बीच समानता एक अनिवार्य तत्व है। इसके अतिरिक्त महिलायें पुरूषों के साथ समानता के स्तर पर मानवाधिकारों और स्वतंत्रता का उपभोग कर अपना पूर्ण विकास व प्रगति सुनिश्चित कर सकें, इस आशय के प्रावधान विशेष रूप से आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में किए गए हैं। इनकी व्यापक परिधि में महिला शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्तराधिकार, विवाह, व्यवसाय, संतान के जन्म व पालन–पोषण आदि सभी विषय आते हैं। किन्तु आज भी इन सभी संदर्भों में महिलायें अनेक प्रकार के विभेद की शिकार हैं।

भारत में मानवाधिकार एवं महिलायें:

विश्व के साथ–साथ भारतीय हिन्दू सभ्यता में भी मानवाधिकार की मूल अवधारणा मिलती है। अनेक विद्वानों का यह भी मानना है कि नैसर्गिक मानव–अधिकारों के विचार का इतिहास अत्यंत पुराना है। भारतीय संस्कृति पाँच हजार वर्ष से भी ज्यादा पुरानी है। हिन्दू सभ्यता में मानवाधिकार की मूल अवधारणा मिलती है। अनेक विद्वानों का यह भी मानना है कि नैसर्गिक मानव अधिकारों का विचार कहीं न कहीं भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से प्रादुर्भूत हैं। आजादी से पूर्व एक काल–विशेष में अवश्य मानवाधिकारों की स्थिति बेहद खराब रही किन्तु उसके बाद से हम एक लम्बी यात्रा तय कर चुके हैं। स्वातंत्र्योत्तर भारत में मानव–अधिकार का विचार एक परम्परा के रूप में जीवित रहा। भारतीय संविधान में मानवाधिकारों की स्पष्ट घोषणा की गई है। इसकी प्रस्तावना मानवाधिकार के सिद्वान्तों का अत्युत्तम उदाहरण है। भारतीय संविधान स्त्री–पुरूषों के मध्य कोई भेद नहीं करता। वर्तमान समाज में मानवाधिकारों की संरक्षा की दृष्टि से महिलाओं की खराब स्थिति एवं निरन्तर उनके प्रति बढ़ते अन्याय, उत्पीड़न व शोषण को देखते हुए भारतीय संविधान ने महिलाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए अनेकों कानून बनाये हैं परन्तु संविधान एवं विधिप्रदत्त ढेरों कानूनों के बावजूद वर्तमान समाज में महिलाओं के मूलभूत अधिकारों के संदर्भ में स्थिति अत्यंत चिन्तनीय है। अपने मानवाधिकारों तथा अन्य कानूनी अधिकारों का उपयोग करना तो दूर अधिकांश स्त्री वर्ग को उनका ज्ञान तक नहीं है। महिलायें किसी भी समाज का एक अभिन्न अंग हैं, परन्तु वर्तमान समाज में यह एक प्रमाणित तथ्य है कि विश्व में सर्वाधिक अपराध महिलाओं के प्रति ही होते हैं। अपराध एवं हिंसात्मक व्यवहार का शिकार होने के दृष्टिकोण से महिलायें आज भी बेहद आसान लक्ष्य हैं। इस कारण भी महिलाओं के प्रति हिंसात्मक रवैये में निरन्तर वृद्वि हो रही है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्हें भेदभाव, प्रताड़ना व हिंसात्मक व्यवहार का सामना करना पड़ता है। महिलाओं को एक सम्मानीय स्थान प्रदान करने हेतु वर्ष 1975 को 'अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष' घोषित किया गया था। उसके उपरान्त भी महिलाओं की गरिमा एवं सम्मान की रक्षा हेतु विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सम्मेलनों में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गये हैं।

मानवाधिकार एवं महिलाओं के प्रति हिंसा:

महिलाओं के प्रति हिंसा एवं उनके नैसर्गिक रूप से प्राप्त मानवाधिकारों के हनन के मूल में अधिकांशतः उनके साथ किया जाने वाला लैंगिक भेदभाव है। लैगिंक भेदभाव के कारण महिलाओं के साथ होने वाला दुर्व्यवहार मानसिक अथवा शारीरिक हिंसा के रूप में सामने आता है। मानवाधिकार के मूलभूत सिद्वान्तों के अनुसार यह न सिर्फ अन्यायपरक है बल्कि स्त्री की गरिमा का भी हनन है। लिंग आधारित भेदभाव दूर करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर, सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा, अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा तथा अन्य दस्तावेजों में उल्लिखित प्रावधानों के अतिरिक्त विभिन्न देशों द्वारा इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक कानून निर्मित किए गए हैं। इसके साथ–साथ महिला मानवाधिकारों की जागरूकता फैलाने एवं उनकी संरक्षा व स्थापना हेतु अनेक संस्थाओं का गठन किया गया है। भारत में भी समान पारिश्रमिक अधिनियम(1976) प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम (1961), दहेज निषेध अधिनियम (1961), बाल विवाह अवरोध अधिनियम (1929), घरेलू हिंसा अधिनियम–2005, महिला आरक्षण विधेयक, विवाह का अनिवार्य पंजीकरण आदि अनेक कानून महिला मानवधिकारों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। इनके साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार होने के बावजूद पृथक राष्ट्रीय महिला आयोग–1990 का गठन भी महिलाओं के प्रति हिंसात्मक व्यवहार रोकने एवं उनके मूलभूत अधिकारों के संरक्षण की दिशा में कदम है। उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में, भारतीय समाज में 'लिव इन रिलेशनशिप' को कानूनी मान्यता न होने के बावजूद इस स्थिति में रह रही महिलाओं के बच्चों के विधिक अधिकारों संबंधी फैसला और किराए की कोख (सरोगेसी) के सम्बंध में प्रस्तावित कानून भी महिलाओं के नैसर्गिक अधिकारों को संरक्षण देने की दिशा में ही एक कदम है। सरकार के अतिरिक्त अनेकों गैर सरकारी संगठन भी

RRIJM 2015, All Rights Reserved

स्वतंत्र रूप से इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न स्तरों पर सक्रिय हैं।

लिंग आधारित भेदभाव दूर करने की दिशा में चल रहे अन्तर्राष्ट्रीय एवम राष्ट्रीय प्रयासों के बाद भी लैंगिक भेदभाव की समाप्ति का लक्ष्य अभी भी दूर ही प्रतीत होता है। यहाँ तक कि शिक्षा के पावन मन्दिर कहे जाने वाले विद्यालयों तक में नन्हीं बालिकाओं के प्रति अनुचित व्यवहार के मामले बढ़े हैं। महिलाओं के प्रति अभद्र एवम् हिंसात्मक व्यवहार/अपराध की प्रवृत्ति समाज के प्रत्येक तबके तथा स्थान में व्याप्त है। कन्या भ्रूण हत्या से लेकर दहेज उत्पीड़न, हत्या, बलात्कार, कार्यस्थल में अभद्र व्यवहार, सार्वजनिक स्थलों पर छेड़छाड़, अपहरण व जबरन वैश्यावृत्ति आदि अनेक प्रकार से वे मानसिक व शारीरिक हिंसा की शिकार हो रही हैं।

इसी वर्ष विश्व की अनेक प्रमुख पत्र–पत्रिकाओं में प्रकाशित अनेक रिपोर्टों में भी महिलाओं के प्रति हिंसा में लगातार हो रही वृद्धि पर चिन्ता व्यक्त की गयी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन में शिशु व मातृ स्वास्थ्य विभाग की टीम लीडर डा0 क्लाउडिया ग्रेशिया मेरिएनों के अनुसार ब्रिटेन की प्रतिष्ठित मेडिकल पत्रिका लैंसेट का नया लेख महिला हिंसा से सम्बंधित निम्न तथ्यों पर प्रकाश डालता है–

- विकसित या विकासशील देशों में महिलाओं के प्रति हिंसा की दर में कोई खास फर्क नहीं है।
- दोनों तरह के देशों में महिलाओं के प्रति हिंसात्मक व्यवहार में हालिया वर्षों में वृद्धि हुई है।
- सम्पूर्ण विश्व में अभी भी महिलाओं की राजनीति व अन्य महत्वपूर्ण पदों पर समान भागीदारी नहीं है।
- दुनिया के ज्यादातर देशों में अभी भी महिला सशक्तिकरण नीति निर्माण के केन्द्र में नहीं है।
- स्वास्थ्य व शिक्षा जैसे बेहद जरूरी अधिकार अभी भी महिलाओं की पहुंच से दूर हैं।

इसी रिपोर्ट के अनुसार भारत सहित विभिन्न एशियाई देशों में महिलाओं के प्रति हिंसा का स्तर बहुत ऊँचा है। दुनिया में प्रतिवर्ष 7 करोड़ से ज्यादा किशोरियाँ 18 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले ही शादीशुदा हो रही हैं। इनमें से ज्यादातर का विवाह बिना उनकी सहमति के हो रहा है। विश्व में शारीरिक या यौन हिंसा की शिकार महिलाओं का प्रतिशत 30 प्रतिशत के आस पास है। जबकि भारत में औसतन 37 प्रतिशत महिलायें हिंसा की शिकार हो रही हैं। इसी वर्ष ब्रिटिश–पत्र 'द गर्जियन' में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार–ब्रिटेन में भी महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक मामले आये। स्त्रियों और बालिकाओं के खिलाफ शारीरिक व मानसिक हिंसा के मामले महामारी की तरह बढ़ते जा रहे हैं। जिन समाजों में स्त्रियों की स्थिति दोयम दर्जे की है, वहां स्त्री शुचिता से जुड़ी बर्बर रूढ़ियाँ, इज्जत के नाम पर बेटियों की हत्याएँ, स्त्री–तस्करी, बलात्कार और घरेलू हिंसा के अनगिनत मामले मौजूद हैं।

महिलाओं के लिए घर सबसे असुरक्षित जगह :

संयुक्तराष्ट्र की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए घर सबसे असुरक्षित जगह है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में विश्व स्तर पर लगभग 50000 महिलाओं की हत्या उनके अंतरंग साथियों या परिवार के सदस्यों ने की थी।

दिल्ली पुलिस की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार राजधानी में जनवरी–2014 से अक्टूबर–2014 के मध्य महिलाओं के प्रति यौन–हिंसा के लिए दर्ज कुल 1704 मामलों में से सिर्फ 4.23 प्रतिशत मामलों में अपराधी अजनबी थे। शेष मामलों को संबंधित व परिचितों ने अंजाम दिया था। पत्नी की हत्या के संबंध में हर दसवीं अपील में पति आरोपी के रूप में और हत्या का स्थान ससुराल होता है। दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी के अनुसार सड़क ससुराल से अधिक सुरक्षित है। महिलायें अगर अपने घर में ही सुरक्षित नहीं हैं तो समाज में बहुत कुछ बदलने की जरूरत है।

चुप्पी की संस्कृति से भी शोषण को बढ़ावा :

स्त्रियों को जन्म के साथ ही पिलाई गई सहनशीलता की घुट्टी भी अपराधों पर पर्दा डाल उनके प्रति हिंसा की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का कारण बनती है। UN Women की कार्यकारी निदेशक फुमजाइल अलाम्बों एनजीक्सूका के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की Orange the world:#Hear Me Too थीम पीड़ितों की बातें सुनने और उन पर विश्वास करने का आह्वान करती है ताकि चुप्पी की संस्कृति खत्म हो। इस थीम में नारंगी रंग महिलाओं की एकजुटता का प्रतीक है।

Hear Me Too को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा ''हमें न सिर्फ पीड़िता की विश्वसनीयता पर संदेह भरे सवाल उठाना बन्द करना होगा, बल्कि उत्पीड़क की जिम्मेदारी भी तय करनी होगी। उसके लिए कानून के सही तरीके से लागू करने की जरूरत है।'' पुलिस और न्यायिक संस्थाओं को इन रिपोर्ट्स को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है तथा पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा और हित की दृष्टि में रखते हुए अनेक व्यवस्थायें जैसे–रिपोर्ट दर्ज करने के लिए अधिक संख्या में महिला अधिकारियों की नियुक्ति, संवदनशील तरीके से पूछताछ तथा पृथक एवं शीघ्र सुनवाई आदि किया जाना अत्यंत आवश्यक है। महिलाओं के प्रति हिंसा अपराध के अनेक मामले तो कानून की चौखट तक पहुँच ही नहीं पाते। एक बार प्रथम सूचना रिपोर्ट हो भी जाये तो लम्बी और अमानवीय कानूनी प्रक्रिया अपराधी से ज्यादा अपराध की शिकार महिला के मानसिक त्रास का कारण बनती है। समर्थ व प्रभावशाली

RRIJM 2015, All Rights Reserved

व्यक्तियों द्वारा हुए अपराधों की पुलिस द्वारा अनदेखी और सार्वजनिक स्थलों पर हुई इस श्रेणी की घटनाओं के प्रति जन साधारण की उदासीनता व असंवेदनशीलता के कारण महिलाओं का हिंसात्मक उत्पीड़न न सिर्फ बढ़ा है बल्कि दिनों–दिन यह ज्यादा वीभत्स एवम् बर्बर रूप लेता जा रहा है। दिसम्बर 2012 में भारत में घटित 'निर्भया काण्ड' तो इस प्रवृत्ति का एक उदाहरण मात्र है। इसी माह घटी कई अन्य घटनायें भी सुर्खियों में थीं। इसके विरोध में उठे प्रचण्ड जन आक्रोश ने स्थिति में सुधार आने की एक उम्मीद जरूर जगाई थी पर उसके बाद भी न तो महिला हिंसा एवम् अपराध की घटनाओं में कमी आई और न प्रशासनिक/न्यायिक स्तर पर इस सम्बंध में पीड़ित महिला को राहत देने वाले प्रावधानों के क्रियान्वयन में ही सुधार दिखता है।

महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा/अपराधों के सम्बंध में हुए अनेक शोधों के निष्कर्ष शोषण व उत्पीड़न से जुड़े अनेक कारकों पर प्रकाश डालते हैं जो महिलाओं के मानवाधिकारों की स्थापना में बाधक बन उनके प्रति हिंसात्मक व्यवहार के पीछे उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण कारक निम्नवत् हैं–

- पितृसत्तात्मक सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भ जो परिवार में महिला की स्थिति दोयम दर्जे की रखते हैं।
- लैंगिक भेदभाव–जो न सिर्फ जैविक कारकों का प्रतिफल है वरन् इसको बढ़ावा देने में संस्कृति भी एक कारण है।
- नैतिक व मनोवैज्ञानिक आयाम–जिनके कारण महिलायें परंपरागत आदर्श नारी की स्थापित धारणाओं के घेरे से नहीं निकल पाती। इसके मूल में उनकी सहनशीलता, आर्थिक निर्भरता व स्वयं को खुद ही पुरुष से हीन समझने की मानसिकता है।
- महिलाओं को न तो पति और न ही समाज से समानता मूलक व्यवहार अथवा इस दिशा में बढ़ने हेतु सहायता मिलती है।
- स्त्रियों को अधिकारों से वंचित रखने के पीछे अनेक वैयक्तिक (यथा पुरुष की अपरिपक्व सोच, कुण्ठा, निराशा, निम्न बौद्धिक योग्यता आदि) आर्थिक (धन अर्जित न करने के कारण स्त्रियों को दबाना) और सामाजिक (महिलाओं द्वारा ही महिलाओं की प्रताड़ना, दहेज हेतु दबाव इत्यादि) कारण भी हैं।

निष्कर्ष:

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि महिलाओं के प्रति हिंसा के मूल में प्रमुखतः उनके मानवाधिकारों का हनन है और इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देने में मानवाधिकारों की जानबूझ कर की गई अवहेलना के साथ–साथ सामाजिक कुरीतियां भी जिम्मेदार हैं। महिला हिंसा को विषयवस्तु बनाकर किये गए अनेक शोध लैंगिक भेदभाव को तो एक प्रमुख कारक मानते ही हैं। पर वे इस दिशा में भी संकेत करते हैं कि पुरुष के आपराधिक/हिंसात्मक व्यवहार के पीछे अनेक बार कई सामाजिक/पारिवारिक कारक होते हैं यथा–पारिवारिक बिखराव, असंतुष्ट बचपन, भावनात्मक अस्थिरता, परिवार व समाज से समग्रता से न जुड़ पाना आदि। अतः कहा जा सकता है कि काफी हद तक हिंसात्मक व्यवहार वर्तमान सामाजिक व्यवस्था की देन है।

महिलाओं के प्रति हिंसा मात्र एक नीतिगत मुद्दा नहीं है और न ही सिर्फ नीतियाँ एवं कानून बनाकर इस प्रवृत्ति को रोकना संभव है। इसे रोकने के लिए सरकार, पुलिस और कानून के साथ–साथ समाज के स्तर पर भी उपचारात्मक उपाय सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके लिए पुरुष मानसिकता में बदलाव और स्त्री मात्र के लिए सम्मान की भावना जागृत करना पहली शर्त है।

यह एक विरोधाभास ही है कि 21 वीं सदी की तमाम प्रगतिशीलता के बावजूद एक ओर तो नृशंस अपराधियों तक के मानवाधिकारों की वकालत की जाती है लेकिन समाज के अर्धांश और सृष्टि के चक्र को गतिशील रखने में अपनी विशेष भूमिका के कारण 'विशेष' की ही अधिकारिणी नारी को 'व्यक्ति' होने की गरिमा तथा नैसर्गिक रूप से प्रत्येक मानव को प्राप्त होने वाले अधिकारों व सम्मान से वंचित रखा जाता है। यही नहीं, कन्या भ्रूण हत्या की घटनायें व चितंनीय स्तर पर घटता लिंगानुपात इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि उन्हें जन्म लेने के अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सचिव एंटोनियो गुटेरेश के अनुसार–**"जब तक आधी दुनिया यानी विश्व की महिलायें और बच्चियाँ भयमुक्त नहीं होगी और हिंसा तथा दिन प्रतिदिन की असुरक्षा से आजाद नहीं होगीं तब तक हम यह नहीं कह पायेंगे कि हम एक निष्पक्ष और समतामूलक विश्व के वासी हैं।"** आज विश्व की आधी आबादी महिलाओं की है। महिलायें एक 'मानव' होने की गरिमा प्राप्त कर सकें इसके लिए आवश्यक है कि सर्वप्रथम उन्हें एक 'व्यक्ति' के रूप में पहचान मिले और इसके साथ ही वे अपने कर्तव्यों के साथ–साथ अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक हों। इसमें शिक्षा की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा और सशक्तिकरण द्वारा ही वे अपना विकास करने के साथ–साथ समाज के उत्थान व विश्व के कल्याण की दिशा में अपना योगदान दे सकती हैं। स्त्रियों की सामाजिक स्थिति न्याय, समानता एवम् औचित्य से प्रेरित हो इसके लिए उनके मानवाधिकारों की स्थापना व संरक्षा पहली और अनिवार्य शर्त है।

RRIJM 2015, All Rights Reserved

संदर्भ–स्त्रोत

1. Ahuja, Ram, 'Crime Against Women', Rawat Publication, Jaipur-1987.
2. Ahuja, Ram, 'Violence Against Women', Rawat Publication, Jaipur-2009.
3. Gupta, Krishna (Editor)-Empowerment of Women', Emerging Dimensions, S Chand Publications-2010
4. Devendra Kiran, Changing position of women in India, Vikas Publishing House, New Delhi, 2004.
5. Sachar, Rajnder, Human Rights: Perspectives and challenges, Gyan Publishing House, New Delhi-2004.
6. 'Towards Equality', Report of the committee on status of women in India, Govt of India, Ministry of Education and Social welfare, 1974.
7. आहूजा राम, 'भारतीय सामाजिक व्यवस्था'–रावत पब्लिकेशन, जयपुर एवं नई दिल्ली–2004
8. सिंह, डी0पी0, 'मानवाधिकार और दलित', शक्ति पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स नई दिल्ली–2011
9. http://india.unfpa.org>files>VAM Hindi- 'महिलाओं के प्रति हिंसा को संयुक्तराष्ट्र द्वारा मानवाधिकार का मुद्दा माना गया'।
10. en.m.wikipedia.org-Domestic violence in India.
11. http://wwwhoint.>topics>VAMseries-Un-General Assembly An in-depth study on all forms of violence against women. New York. United Nations, 2006.
12. http://blogs.un.org.2018/11/27- संयुक्त राष्ट्र ब्लाग (हिन्दी) महिलाओं के खिलाफ हिंसा 27/11/2018

RRIJM 2015, All Rights Reserved